अनुदान संख्या 50 - भारी उद्योग विभाग
GRANT No. 50–DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)	
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	159,87,00	162,82,00	85,53,75	–77,28,25
पूरक	Supplementary	2,95,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				76,08,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	471,13,00	656,85,00	633,25,61	–23,59,39
पूरक	Supplementary	185,72,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				23,03,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (7728.25 लाख रु.) दिसंबर, 2004 में प्राप्त किए गए 295.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 47 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.7728.25 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.295.00 lakhs obtained in December, 2004 and constituted 47 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)	
मुख्य शीर्ष ''3451''	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	930.00	707.00	643.23	–63.77
पु.	R.	–223.00			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2852''	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	15057.00			
पू.	S.	295.00	7967.00	7910.52	–56.48
पु.	R.	–7385.00			

(I) 3930.50 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3874.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''2852'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग - भारी इंजीनियरी निगम लि. के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के भाग के रूप में ब्याज सहायता''- 3674.00 लाख रु. वर्ष 2004-05 तक सात वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में 1995-96 और 1996-97 के दौरान जारी किए गए योजनेत्तर कर्ज के रूप में लिए जाने को आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन दिए जाने और मंत्रिमंडल टिप्पणी में इसकी अंतिम तारीख न दिए जाने से वर्ष के दौरान ब्याज सहायता देय न होने के कारण थे।

(खा) ''सामान्य - अन्य व्यय - संवर्धन कार्यकलापों के लिए औद्योगिक एसोसिएशनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता अनुदान''- 200.00 लाख रु. वर्ष के दौरान संवर्धन कार्यकलाप संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - भारी उद्योग विभाग'' के अंतर्गत 286.77 लाख रु. की बचत (930.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और कम संख्या में अध्ययन किए जाने की वजह से निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.3930.50 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.3874.00 lakhs accounted for under Major Head "2852" - under the following heads:-

(A) "Engineering Industries – Other Engineering Industries - Interest subsidy as part of BIFR package for Heavy Engineering Corporation Ltd." - Rs.3674.00 lakhs – due to approval of Cabinet Committee on Economic Affairs for treating the non-plan loan released during 1995-96 and 1996-97 as interest free loan for seven years till 2004-05 and in the absence of cut off date in the Cabinet Note, the interest subsidy was not due during the year.

(B) "General – Other Expenditure - Schemes of Grants – in – aid to Industrial Associations and PSUs for Undertaking Promotional Activities"- Rs.200.00 lakhs - due to non-finalisation of proposal for promotional activities during the year.

(II) Under Major Head "3451" –"Secretariat – Department of Heavy Industry"- saving of Rs.286.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 930.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and less utilisation of funds owing to less number of studies undertaken.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "विज्ञान तथा तकनीकी योजना के संबंध में व्यय"- 3039.50 लाख रु. की बचत (7500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर योजना प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) "कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए अनुदान"- 467.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधि का उपयोग न किए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण में कमी किए जाने के कारण हुई।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (2359.39 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 18572.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 13 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(III) Under Major Head "2852" – "General-Industrial Education, Research and Training"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Expenditure in connection with Science and Technology Plan" - saving of Rs.3039.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7500.00 lakhs) was due to reduction of plan provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to slow pace of expenditure.

(B) "Grants for Coal gassification project" - saving of Rs.467.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to reduction in revised estimates stage owing to non-utilisation of fund.

2. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.2359.39 lakhs) constituted 13 percent of the supplementary grants of Rs.18572.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas					
मू.	O.	1300.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1300.00			
मुख्य शीर्ष "4854" सीमेंट और धातुरहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय Major Head "4854" Capital Outlay on Cement and Non-metallic Mineral Industries					
मू.	O.	1000.00	0.50	. .	–0.50
पु.	R.	–999.50			

शीर्ष Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4858" इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय Major Head "4858" Capital Outlay on Engineering Industries					
मू.	O.	2171.00			
पू.	S.	2.00	2146.75	2142.75	–4.00
पु.	R.	–26.25			
मुख्य शीर्ष "6854" सीमेंट और धातुरहित खनिज उद्योगों के लिए कर्ज Major Head "6854" Loans for Cement and Non-metallic Mineral Industries					
मू.	O.	15001.00			
			1749.42	1708.00	–41.42
पु.	R.	–13251.58			
मुख्य शीर्ष "6858" इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज Major Head "6858" Loans for Engineering Industries					
मू.	O.	27173.00			
पू.	S.	18570.00	56522.33	56514.86	–7.47
पु.	R.	10779.33			
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज Major Head "6860" Loans for Consumer Industries					
मू.	O.	236.00			
			2666.00	2662.50	–3.50
पु.	R.	2430.00			

(I) 61124.00 लाख रु. का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 61123.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.61124.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.61123.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "6858" - "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन और सांविधिक देयताओं की अदायगी"- 43570.00 लाख रु. (18570.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एकमुश्त प्रावधान से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने और विभिन्न बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सांविधिक देयताओं की अदायगी किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "6858" – "Other Engineering Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings- Implementation of Voluntary Retirement Scheme (VRS) and payment of statutory dues" – Rs.43570.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.18570.00 lakhs) – due to utilisation of funds by re-appropriation from the lumpsum provision for implementation of Voluntary Retirement Scheme (VRS) in the Public Sector Enterprises and payment of statutory dues to various sick PSUs.

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान"- 1300.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यवहार्य स्कीमों के न होने के कारण थे।

(B) Major Head "4552" – "Other Expenditure– Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim"- Rs.1300.00 lakhs – due to absence of viable schemes in the North Eastern Region.

(गा) मुख्य शीर्ष "4854" - "अन्य - अन्य व्यय"-

(C) Major Head "4854" – "Others - Other Expenditure" –

(क) "सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निरंतर व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए निर्णायक संतुलित निवेश"- 500.00 लाख रु. योजना आयोग द्वारा स्कीमों को अनुमोदन न दिए जाने के कारण थे।

(a) "Crucial Balancing Investments for sustained viability of PSEs" – Rs.500.00 lakhs – due to non-approval of the schemes by Planning Commission.

(ख) "सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में परिवर्धन, आशोधन तथा प्रतिस्थापन के लिए निवेश"- 500.00 लाख रु. इस तथ्य के कारण थे कि समस्त राशि के लिए स्कीमों का अलग-अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ध्यान में रखते हुए व्यापक पुनःप्रवर्तन योजनाओं के लिए पता नहीं लगाया जा सका था।

(b) "Investment for Addition, Modification and Replacement in PSUs"- Rs.500.00 lakhs – due to the fact that schemes for the entire amount could not be located as comprehensive revival plans were being considered in individual PSEs. .

(घा) मुख्य शीर्ष "4858" - "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश"-

(D) Major Head "4858" – "Other Engineering Industries – Investments in Public Sector and other Undertakings" -

(क) "भारत यंत्र निगम लिमिटेड में निवेश"- 152.00 लाख रु. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अनिश्चित भविष्य होने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने के कारण भी थे।

(a) "Investment in Bharat Yantra Nigam Ltd."- Rs.152.00 lakhs - due to uncertain future of the PSEs and also on account of availability of unspent balance of the previous year.

(ख) "हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड में निवेश"- 101.00 लाख रु. निधियां जारी न किए जाने के कारण थे।

(b) "Investment in Hindustan Cables Ltd." – Rs.101.00 lakhs - due to non - release of funds.

(ङ) मुख्य शीर्ष "6854" - "अन्य - अन्य कर्ज - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुनःप्रवर्तन स्कीमों का कार्यान्वयन"- 15000.00 लाख रु. सापेक्षिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित शीर्षों से कर्मचारियों को वेतन, मजदूरी और सांविधिक देयताओं का पुनःप्रवर्तन भुगतान करने के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए एकमुश्त प्रावधान से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "4858" - "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड में निवेश" के अंतर्गत 108.50 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "4858"-

(क) "परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड में निवेश"- 204.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) व्यय को पूरा किए जाने के कारण हुआ क्योंकि बजट में कोई भी निधियां आवंटित नहीं की गई थी।

(ख) "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड में निवेश"-125.00 लाख रु. का अधिक व्यय (423.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार व्यय को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "6854" - "सीमेंट - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड को कर्ज"- 1707.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, मजदूरी की अदायगी किए जाने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को लागू किए जाने के कारण हुआ।

(E) Major Head "6854" – "Others – Other Loans – Implementation of revival schemes of PSEs" – Rs. 15000.00 lakhs – due to utilisation of funds by re-appropriation from the lumpsum provision for implementation of schemes to make revival payment of salaries, wages and statutory dues to the employees from the concerned heads of the perspective PSEs.

(II) Under Major Head "4858" – "Other Engineering Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings- Investment in Heavy Engineering Corporation Ltd." – saving of Rs.108.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to less requirement of funds owing to some administrative reasons.

3.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "4858" –

(a) "Transport Equipment Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings - Investment in Scooters India Ltd."- excess of Rs.204.00 lakhs (against nil provision) was due to meet out the expenditure as no funds were allocated in the budget.

(b) "Other Engineering Industries –Investments in Public Sector and Other Undertakings - Investment in Instrumentation Ltd."- excess of Rs.125.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.423.00 lakhs) was due to meet the expenditure as approved by Planning Commission.

(B) Major Head "6854" – "Cement - Loans to Public Sector and Other Undertakings- Loans to Cement Corporation of India Ltd." – excess of Rs.1707.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh) was due to payment of salaries, wages and implementation of Voluntary Retirement Scheme.

(गा) मुख्य शीर्ष ''6858'' के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(क) ''परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को कर्ज''- 203.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को योजनागत कर्ज प्रदान करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवशयकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज''-

(i) ''एण्ड्रू यूले एंड कंपनी लिमिटेड को कर्ज''- 3212.00 लाख रु. का अधिक व्यय (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) ''नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड को कर्ज''- 287.08 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) ''हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड को कर्ज''- 10409.90 लाख रु. का अधिक व्यय (101.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iv) ''भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड को कर्ज''- 312.27 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(v) ''इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को कर्ज''- 3929.75 लाख रु. अधिक व्यय (423.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(vi) ''भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड को कर्ज''- 12456.50 लाख रु. का अधिक व्यय (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(vii) ''प्राग टूल्स लिमिटेड को कर्ज'''- 236.03 लाख रु. का अधिक व्यय (18.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(viii) ''एच.एम.टी. लिमिटेड को कर्ज''- 9991.09 लाख रु. का अधिक व्यय (551.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(C) Under Major Head "6858"- excess occurred under the following heads:-

(a) "Transport Equipment Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings– Loans to Scooters India Ltd"- excess of Rs.203.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh) was due to additional requirement of fund for providing plan loan to Scooter India Ltd.

(b) "Other Engineering Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings"-

(i) "Loans to Andrew Yule and Co. Ltd." – excess Rs.3212.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs);

(ii) "Loans to National Instruments Ltd." – excess of Rs. 287.08 lakhs (against nil provision);

(iii) "Loans to Hindustan Cables Ltd."- excess of Rs.10409.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.101.00 lakhs);

(iv) "Loans to Bharat Ophthalmic Glass Ltd."– excess of Rs.312.27 lakhs (against nil provision);

(v) "Loans to Instrumentation Ltd." – excess of Rs.3929.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.423.00 lakhs);

(vi) "Loans to Heavy Engineering Corporation Ltd." - excess of Rs.12456.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs);

(vii) "Loans to Praga Tools Ltd."-excess of Rs.236.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18.00 lakhs);

(viii) "Loans to HMT Ltd." – excess of Rs.9991.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.551.00 lakhs);

(ix) "भारत यंत्र निगम लिमिटेड को कर्ज''- 11173.53 लाख रु. का अधिक व्यय (152.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(x) "भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड को कर्ज'' - 2107.97 लाख रु. का अधिक व्यय (377.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घा) मुख्य शीर्ष "6860'' के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(क) "कागज तथा अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - नेपा लिमिटेड को कर्ज''- 1285.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "अन्य''-

(i) "फोटो फिल्म - हिंदुस्तान फोटोफिल्म विनिर्माण कंपनी लिमिटेड को कर्ज''- 985.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "साल्ट - हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड को कर्ज''- 157.50 लाख रु. का अधिक व्यय (233.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तेरह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय वेतन, मजदूरी की अधिक अदायगी किए जाने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को लागू किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 50.50 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत था।

(ix) "Loans to Bharat Yantra Nigam Ltd." - excess of Rs.11173.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.152.00 lakhs);

(x) "Loans to Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd." - excess of Rs.2107.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.377.00 lakhs);

(D) Under Major Head "6860" – excess occurred under the following heads:-

(a) "Paper and Newsprint - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Nepa Ltd." – excess of Rs.1285.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh);

(b) "Others" –

(i) "Photofilms – Loans to Hindustan Photo Films Mfg. Company Ltd." - excess of Rs.985.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh); and

(ii) "Salt – Loans to Hindustan Salts Ltd." – excess of Rs.157.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.233.00 lakhs).

Excess under the above thirteen heads was due to payment of salaries, wages and implementation of Voluntary Retirement Scheme.

(II) Under one head excess of Rs.50.50 lakhs occurred constituting 22 percent of the sanctioned provision.